छत्तीसगढ़ विधान सभा		
पत्रक भाग - एक **संक्षिप्त कार्य विवरण**		
चतुर्थ विधान सभा	एकादश सत्र	अंक-13

रायपुर, सोमवार, दिनांक 20 मार्च, 2017

(फाल्गुन 29, शक संवत् 1938)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

1. प्रश्नकाल

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से प्रश्न संख्या 01 से 07 एवं 09 से 15 (कुल 14) प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये।

तारांकित प्रश्न संख्या 08 के प्रश्नकर्ता सदस्य श्री जयसिंह अग्रवाल अनुपस्थित रहे।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नों के रूप में परिवर्तित 44 तारांकित एवं 60 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे ।

2. बहिर्गमन

तारांकित प्रश्न संख्या 06 पर चर्चा के दौरान डॉ. विमल चोपड़ा, सदस्य ने शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया ।

3. पृच्छा

श्री भूपेश बघेल एवं प्रतिपक्ष के अन्य सदस्यों ने किसान आदिवासी नेता जयलाल राठिया की संदेहास्पद परिस्थितयों में मौत होने के संबंध में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की।

माननीय अध्यक्ष ने कथन किया कि मैंने स्थगन देखा है, स्थगन के योग्य नहीं होने से मैंने स्थगन प्रस्ताव कक्ष में ही अग्राहय कर दिया है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गए।)

(माननीय अध्यक्ष ने सूचित किया कि माननीय मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल के स्थान पर श्री तोखन साहू, संसदीय सचिव पत्रों को पटल पर रखेंगे।)

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री तोखन साहू, संसदीय सचिव ने छत्तीसगढ़ गौसेवा अधिनियम, 2004 (क्रमांक 23 सन् 2004) की धारा 18 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य गौसेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2016-2017 एवं उस पर राज्य सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन,तथा

(2) श्री दयालदास बघेल, सहकारिता मंत्री ने छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित, रायपुर की ऑडिट रिपोर्ट वर्ष 2013-2014, 2014-2015 एवं 2015-2016 **पटल पर रखे।**

5. ध्यानाकर्षण सूचना

(1) श्री संतोष बाफना, सदस्य ने बस्तर वन मंडल में वृक्षों की अवैध कटाई किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल के सदस्य नारेबाजी करते हुए गर्भगृह में आये।)

6. गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन

माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि विधान सभा की कार्य प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250(1) के अधीन निम्नलिखित सदस्य स्वमेव निलंबित हो गये हैं :-

सर्वश्री खेलसाय सिंह, बघेल लखेश्वर, मोतीलाल देवांगन, संतराम नेताम, मोहन मरकाम, लालजीत सिंह राठिया, श्यामलाल कंवर, सत्यनारायण शर्मा, डॉ.(श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री दलेश्वर साहू, पारसनाथ राजवाड़े, बृहस्पत सिंह, भूपेश बघेल, धनेन्द्र साहू, अरूण वोरा, उमेश पटेल, श्रीमती अनिला भेंडिया, श्रीमती तेज कुंवर गोवर्धन नेताम, श्रीमती देवती कर्मा, सर्वश्री दीपक बैज, (डॉ.) प्रीतम राम, चिंतामणी महाराज, कवासी लखमा, उइके रामदयाल, सियाराम कौशिक, राजेन्द्र कुमार राय, जनकराम वर्मा एवं भैयाराम सिन्हा ।

माननीय अध्यक्ष ने निलंबित सदस्यों से आग्रह किया कि वे सभा भवन से बाहर चले जायें। निलंबन अवधि का निर्धारण वे पश्चात् करेंगे।

7. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

श्री महेश गागड़ा, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य देना प्रारंभ किया।

8.निलंबन अवधि की समाप्ति

माननीय अध्यक्ष ने नियम 250 (1) के अंतर्गत निलंबित सदस्यों की निलंबन अवधि समाप्त करने की घोषणा की ।

9. ध्यानाकर्षण सूचना (क्रमश:)

श्री महेश गागड़ा, वन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

(2) श्री केशव चन्द्रा, सदस्य ने प्रदेश के शिक्षा जिला, जांजगीर-चांपा व सक्ती में शासन द्वारा निजी विद्‌यालयों में शिक्षा के अधिकार के तहत प्रवेश प्राप्त छात्र-छात्राओं के शुल्क का भुगतान नहीं किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री केदार कश्यप, स्कूल शिक्षा मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

10. नियम 267-क के अंतर्गत विषय

माननीय सभापति के निर्देशानुसार निम्नलिखित सदस्यों की नियम 267-क की सूचनाएं सदन में पढ़ी हुई मानी गईं -

(1) श्री बघेल लखेश्वर
(2) श्री सत्यनारायण शर्मा
(3) डॉ. विमल चोपड़ा
(4) श्री दीपक बैज

11. वर्ष 2017-2018 की अनुदान मांगों पर चर्चा

(1) माननीय कृषि मंत्री के विभागों की अनुदान मांगों पर पुनर्ग्रहित चर्चा श्री अमरजीत भगत, सदस्य ने प्रारंभ की।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

सर्वश्री देवजी भाई पटेल, धनेन्द्र साहू,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री अवधेश सिंह चंदेल, मोहन मरकाम, चुन्नीलाल साहू (खल्लारी), कवासी लखमा, राजमहंत सांवलाराम डाहरे, श्रीमती अनिला भेंडिया, डॉ. खिलावन साहू,

(सभापति महोदय (श्री शिवरतन शर्मा) पीठासीन हुए।)

सर्वश्री जनकराम वर्मा, श्यामबिहारी जायसवाल, संतराम नेताम, (डॉ.) सनम जांगड़े, श्यामलाल कंवर, केशव चंद्रा, श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, डॉ. विमल चोपड़ा, सर्वश्री अशोक साहू, दीपक बैज,

(सभापति महोदय (श्री देवजी भाई पटेल) पीठासीन हुए।)

श्री रामलाल चौहान, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी,

(माननीय सभापति ने सदन की सहमति से कार्यसूची के पदक्रम 4 (2) की मांगे प्रस्तुत होने तक सदन के समय में वृद्धि की घोषणा की)

सर्वश्री शिवरतन शर्मा, भूपेश बघेल।

(अध्यक्ष महोदय (श्री गौरीशंकर अग्रवाल) पीठासीन हुए।)

श्री बृजमोहन अग्रवाल, कृषि मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(2) श्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय, राजस्व मंत्री ने राजस्व विभाग से संबंधित व्यय से संबंधित मांग संख्या 9, भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन से संबंधित मांग संख्या 8, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और रोजगार विभाग से संबंधित मांग संख्या 47, पुनर्वास से संबंधित मांग संख्या 35, प्राकृतिक आपदाओं एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पर व्यय से संबंधित मांग संख्या 58, उच्च

शिक्षा से संबंधित मांग संख्या 44 एवं विज्ञान और टेक्नालॉजी से संबधित मांग संख्या 46 प्रस्तुत की।

मांग संख्या 9 पर सर्वश्री भूपेश बघेल, सत्यनारायण शर्मा, धनेन्द्र साहू, मोतीलाल देवांगन, बघेल लखेश्वर मांग संख्या 8 पर सर्वश्री भूपेश बघेल, बघेल लखेश्वर श्यामलाल कंवर, दीपक बैज मांग संख्या 47 पर सर्वश्री भूपेश बघेल, सत्यनारायण शर्मा, अमरजीत भगत, डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सर्वश्री धनेन्द्र साहू, मोतीलाल देवांगन, बघेल लखेश्वर, बृहस्पत सिंह, श्रीमती देवती कर्मा, सर्वश्री जनकराम वर्मा, दीपक बैज मांग संख्या 35 पर सर्वश्री भूपेश बघेल, बघेल लखेश्वर, दीपक बैज मांग संख्या 58 पर श्री धनेन्द्र साहू मांग संख्या 44 पर पर सर्वश्री सत्यनारायण शर्मा, धनेन्द्र साहू, अमरजीत भगत, बघेल लखेश्वर, बृहस्पत सिंह, मोतीलाल देवांगन, जनकराम वर्मा, दीपक बैज, (डॉ) विमल चोपड़ा, पारसनाथ राजवाड़े, शंकर ध्रुवा मांग संख्या 46 पर श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत हुए।

मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ चर्चा प्रारंभ होगी।

श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य

सायं 7.49 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 21 मार्च, 2017 (फाल्गुन-30, शक संवत् 1938) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

देवेन्द्र वर्मा

प्रमुख सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा